

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No.200-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2016 (AGRAHAYANA 16, 1938 SAKA)

### हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 7 दिसम्बर, 2016

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)बी.जी.एच./डी.डी.पी.—2031 / 2016 / 3301.— हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 24), की धारा 203ग की उप धारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 जुलाई, 2012 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या—सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/बी.जी.एच./एफ.डी.पी.—2031 / 2012 / 2213 दिनांक 13 जुलाई, 2012 द्वारा अधिसूचित बहादुरगढ़ के अंतिम विकास योजना, 2031 ए.डी. में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अविध की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, सिहत जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हिरयाणा, एस.सी.ओ. संख्या 11—14, सैक्टर 4, पंचकूला, नगर परिषद की सीमा के भीतर के क्षेत्र के लिए तथा महा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हिरयाणा, एस.सी.ओ. संख्या 71—75 (द्वितीय से तृतीय तल), सैक्टर—17 सी, चण्डीगढ़, नगर परिषद की सीमा के बाहर के क्षेत्र के लिए लिखित रूप में किसी व्यक्ति से संशोधन प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट अविध की समाप्ति से पूर्व, प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

### संशोधन प्रारूप

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या— सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/बी.जी.एच./एफ.डी.पी. —2031/2012/2213 दिनांक 13 जुलाई, 2012 में,—

- I. अनुबन्ध-क में,
- (i) 'प्रस्तावित भूमि उपयोग' शीर्ष में, "बहादुरगढ़ शहर की अन्तिम विकास योजना 2031 ई० को औसत 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के रिहायशी घनत्व के हिसाब से बनाया गया है।" शब्दों, चिह्नों तथा अंकों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) 'विभिन्न भूमि उपयोगों का विवरण' शीर्ष में,

(क) '1 रिहायशी' उप—शीर्ष में, द्वितीय पंक्ति में, "औसतन रिहायशी घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के आधार पर" शब्दों तथा अंकों का लोप कर दिया जायेगा तथा तीसरी पंक्ति में, "इन सैक्टरों का पहले योजना अनुसार घनत्व 200 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर रख गया है। जिला वाणिज्यिक केन्द्र व संस्थानिक क्षेत्र के साथ लगते रिहायशी क्षेत्रों को 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के रिहायशी घनत्व अनुसार विकसित किया जायेगा।" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थातः—

"दोनों ओर से 20 प्रतिशत की विभिन्नता सिंहत प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता में विकिसत किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, ट्रांजिट ओरयंटिड विकास पॉलिसी तथा दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी।";

- (ख) '2 वाणिज्यिक' उप–शीर्ष के, अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—
  "ग्रुप हाऊसिंग, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।";
- (ग) 3 'औद्योगिक' उप–शीर्ष के अन्त में निम्निलिखित शब्द जोड़े जाएंगे अर्थात्:—
  "ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।";
- (घ) 6 'सार्वजिनक तथा अर्ध—सार्वजिनक उपयोग' उप—शीर्ष के अन्त में निम्निलिखित शब्द जोड़े जाएंगे अर्थात्ः—
  "ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्कि, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।"।

# II. अनुबन्ध ख में,-

- (क) 'II परिभाषायें' शीर्ष में,—
- (i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगाा, अर्थात्:— '(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;';
- (ii) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:— '(ख-क) "भवन संहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2016;';
- (iii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :'(घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिपाय है सभी मंजिलों के प्लाट क्षेत्र द्वारा कल आच्छादित क्षे
  - (घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के प्लाट क्षेत्र द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्र के विभाजन द्वारा प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात् :—

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, छत अनुमानों कैंटिलीवर /अनुमित, लिपट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाने यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, स्टीलट क्षेत्र (खुला) पार्किंग तथा पैदल यात्री प्लाजा, खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), अनुमत आकार का खुला आंगन के उपयोग के लिये, फर्श क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा;';

- (iv) खण्ड (ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः— '(ड़)"वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फलैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;';
- (v) खण्ड (थ) में, व्याख्या ४ के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:—
  "5 उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होगी;';
- (vi) खण्ड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
  '(फ) "अटारी" से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवशिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;';

- (vii) खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :--
  - '(ब) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती मंजिल और ऊपरी मंजिल स्तर 2.3 मीटर से कम नहीं होगा;';
- (ख) 'VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर' शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर"

केवल सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी।";

- (ग) 'VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण' शीर्ष में, पैरा (3) के बाद निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—
  "(4) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्टी
  तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध अनुज्ञात
  किया जा सकता है।":
- (घ) 'XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार' शीर्ष में, पैरा (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
  - "(2)"रिहायशी और वाणिज्यिक विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायशी कालोनी और वाणिज्यिक कालोनी के लिए, क्षेत्र मानदण्ड समय—समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट होगा।";
- (ड.) 'XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार' शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
  - "XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार

विशिष्ट प्लॉट / स्थान पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता / नियमों तथा / या ऐसे प्लाट / क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगी।";

- (च) 'XV भवनों की अगली और पिछली भवन पंक्ति' शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
  - "XV भवनों की अगली और पिछली भवन पंक्ति'
  - ये भवन संहिता / नियमों के अनुसार तथा / या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी।";
- (छ) 'XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण' शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 'XVIII वास्तुकला संबंधी नियंत्रण':
  - "जहां भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवश्यक हों, प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2016 के खण्ड 29 के अन्तर्गत बनाये गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।";
- (ज) 'XVIII घनत्व' उप–शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 'XVIII सघनता:—

"दोनों और से 20 प्रतिशत की विभिन्नता सिहत प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता में विकसित किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, ट्रांजिट ओरयंटिड विकास पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी।"

## III. परिशिष्ट ख में,-

- (i) 'II वाणिज्यिक अंचल' शीर्ष में, खण्ड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
  - "(viii) यथा विनिर्दिष्ट मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं में आवास";
- (ii) 'III औद्योगिक अंचल' शीर्ष में, खण्ड (vi) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—
  " (vi क) वर्ग आवास, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाएं ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत की जाएंगी";

(iii) 'VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल' शीर्ष में, खण्ड (vii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात ;—

"(vii क) वर्ग आवास, वाणिज्यिक, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।"।

आनंद मोहन शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। एस.एस. प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

### HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT AND

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### **Notification**

The 7th December, 2016

**No.CCP** (NCR)/BGH/DDP-2031/2016/3301.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 203(C) of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and Sub-section (4) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following draft of amendment in the Final Development Plan 2031AD Bahadurgarh notified *vide* Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP (NCR)/BGH/FDP-2031/2012/2213 dated the 13th July, 2012 and published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary), dated the 13th July, 2012 for the information of all the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendments shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector – 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Council limit and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, S.C.O. No 71-75 (Second to Third Floor), Sector-17 C, Chandigarh for the area falling outside Municipal Council limit, from any person with respect to the draft of the amendment, before the expiry of the period so specified.

### **Draft Amendment**

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP (NCR)/BGH/FDP-2031/2012/2213 dated 13th July, 2012.-

- I. In Annexure- A.-
- (i) Under the heading "Land use proposals", in the first line, the words, sign and figure "The Final development plan of Bahadurgarh town has been designed for an average density of 250 persons per hectare." shall be omitted.
- (ii) under the heading "Description of various land uses",
  - a) under sub head (1)- "Residential", in the 2nd line:
    - (1) after the "residential purpose" the sign "." shall be inserted;
    - (2) and for the words, figures and sign "on the basis of average residential density of 250 persons per hectare. The sector 2, 6, 7 part, 9 part, 9A are developed and sector 1, 10, 11 and 13 are under development as residential sector and the density is proposed to be kept as earlier plan i.e. 200 Persons Per Hectare. The residential sectors adjoining to District Shopping Centre and Institutional areas would also be developed on the basis of residential density of 250 persons per hectare." the following words, sign and figures shall be substituted, namely:-

"Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Transit Oriented Development Policy. 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.";

- b) under sub-head (2) "Commercial", in the existing clause, the following words shall be added at the end, namely:-
  - "Group Housing, Mixed Land Use and IT/ ITES projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone";
- c) under sub-head (3) "Industrial", in the existing clause, the following words shall be added at the end, namely:-
  - "Group Housing, Commercial and Mixed Land Use projects will be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone";
- d) under sub-head (6) "Public and Semi- Public", in the existing clause, the following words shall be added at the end, namely:-
  - "Group Housing, Commercial, Mixed Land Use and IT/ ITES projects will be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone."
- II. In Annexure- B.-
- (i) under sub head II- "Definitions",:-
  - (a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
    - '(a) "approved" means approved by the competent authority;';
  - (b) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely
    - '(ba) "Building Code means the Haryana Building Code 2016';
  - (c) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:
    - '(d) "Floor Area Ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the total covered area of all floors, by the area of plot i.e.

$$FAR = \frac{\text{total covered area}}{\text{plot area}}$$

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR;';

- (d) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:
  - '(e) "group housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;";
- (e) in clause (q), after EXPLANATION (4), the following Explanation shall be added, namely:-
  - "(5) Not withstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and Density shall be the governing parameters instead of plotable area;"
- (f) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:
  - '(v) "Loft" shall means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;';
- (g) for clause (w), the following definition shall be substituted, namely:
  - '(w) "Mezzanine Floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres above floor level;';
- (ii) under sub head VII "Sectors to be developed exclusively through Government Enterprises", "for the existing clauses (1) and (2), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.";
- (iii) under sub head VIII, "Land Reservations for Major Roads", in clause (3) after the words "whichever is less shall be allowed." existing at the end, the following words shall be added, namely:-
  - "Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policy";

- (iv) under sub head XIII- "Minimum size of plots for various types of buildings", for the existing para (2) and (3), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(2) The area norms for Group Housing colony, plotted residential colony and commercial colony will be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.";
- (v) under sub head XIV "Site coverage/ height and bulk of building under various types of buildings", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
  - "The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and/or as laid down in the zoning plan of such site.";
- (vi) under sub head XV "Building lines in front and rear of buildings", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
  - "These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.";
- (vii) under sub head XVI- "Architectural control", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
  - "Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 29 of Haryana Building Code 2016.";
- (viii) under sub head XVIII -"Density", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
  - "Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New integrated Licensing Policy, Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Transit Oriented Development Policy and 20% of Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.";
- III. In Appendix-B.-
  - (i) under the heading II- "Commercial", for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely:"(viii) Residences in mixed land use projects as specified";
  - (ii) under the Heading III- "Industrial", after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:"(vi a) Group Housing, Commercial and Mixed Land Use projects shall be allowed under specified policies
    governing development of Transit Oriented Development Zone.";
  - (iii) under the Heading VI "Public and Semi Public uses zone", after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(vii a) Group Housing, Commercial, Mixed Land Use and IT/ ITES projects shall allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone."

ANAND MOHAN SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

S.S. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government Haryana,

Town and Country Planning Department.

54849—C.S.—H.G.P., Chd.